न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2021/81

बंशीलाल पुत्र प्यारचन्द आयु 28 वर्ष जाति मेघवाल निवासी बावडीखेडा तहसील रावतभाटा जिला चित्तौडगढ ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. रामकल्याण आयु 56 वर्ष आत्मज भैरूलाल ।
2. हुकमचन्द आयु 45 वर्ष आत्मज भैरूलाल ।
3. महेश आयु 22 वर्ष आत्मज स्व0 मोहनलाल जी (मृतक) जरिये कायममुकाम–
   3/1. दशरथ पुत्र स्व0 महेश ।
   3/2. कुलदीप पुत्र स्व0 महेश ।
4. नरेन्द्र आयु 20 वर्ष आत्मज स्व0 मोहनलाल जातिगण मेहर निवासी खैराबाद तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
5. रामदयाल आत्मज स्व0 मोहनलाल जाति मेहर निवासी लखारिया तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
6. बरदी बाई पत्नी स्व0 मोहनलाल जाति मेहर निवासी लखारिया तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
7. बालराम आत्मज स्व0 कालू जाति मेहर निवासी खैराबाद तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (मृतक) जरिये कायममुकाम :–
   7/1. बादाम बाई पत्नी स्व0 बालाराम ।
   7/2. कमलेश पुत्री बालाराम जाति मेहर निवासी खैराबाद तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
8. रमेश आत्मज स्व0 कालू जाति मेहर निवासी खैराबाद तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
9. मांगी बाई पत्नी स्व0 लक्ष्मीचन्द जाति मेहर निवासी खैराबाद तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
10. गोलू उर्फ देवकरण आयु 04 वर्ष आत्मज स्व0 लक्ष्मीचन्द जरिये वली माता मांगी बाई पत्नी लक्ष्मीचन्द जाति मेहर निवासी खैराबाद तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
11. जानी बाई पत्नी स्व0 सेवा जाति मेहर निवासी खैराबाद तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
12. गोपाल आत्मज स्व0 सेवा जाति मेहर निवासी खैराबाद तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
13. गोरधन आत्मज स्व0 सेवा जाति मेहर निवासी खैराबाद तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
14. राधाकिशन आत्मज स्व0 सेवा जाति मेहर निवासी खैराबाद तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

15. अध्योध्या बाई पुत्री स्व0 सेवा पत्नी मोहनलाल जाति मेहर निवासी सुकेत पानी की टंकी मेहर मोहल्ला सुकेत तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
16. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

——रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री रामबाबू मालव, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री जितेन्द्र नामा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1, 2 व 4 की ओर से ।
3. श्री अख्तर खान, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 8 से 10 व 13 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 13.12.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय 10.11.2010 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट कम 1 लगायत 4 ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम खैराबाद तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा में खाता संख्या 296 की खसरा नम्बर 674 मिन 06 बीघा 16 बिस्वा, खाता संख्या 725 खसरा नम्बर 674 की 01 बीघा 11 बिस्वा कुल रकबा 08 बीघा 07 बिस्वा भूमि स्थित है जो वर्तमान में मृतक धन्ना पुत्र शंकर के खाते में दर्ज है । उक्त भूमि पर लगभग 80 वर्षो से प्रार्थीगण व उनके पूर्वजों का कब्जा काश्त खातेदारान की हैसियत से चला आ रहा है । संवत् 1992–93 व 94 के राजस्व रिकॉर्ड में खसरा नम्बर 4244/1901–1902 की 06 बीघा 15 बिस्वा भूमि का जैली काश्तकार भागल्या का नाम दर्ज है । पूर्व सेटलमेंट में सेटलमेंट की त्रुटि के कारण सेवा आत्मज शंकर के नाम उक्त भूमि दर्ज हो गई व बाद में बंटवारानुसार मृतक धन्ना पुत्र शंकर के नाम उक्त भूमि दर्ज हो गई । वर्तमान में उक्त भूमि मृतक धन्ना के वारिसान अप्रार्थी कम 5 लगायत 7 के नाम दर्ज है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण के पिता भैय जी व उनके पिता भाग्ल्या जी के समय से ही गत लगभग 80 वर्षों से कब्जा निरन्तर अबाध रूप से अप्रार्थीगण व उनके पूर्वजों की जानकारी में प्रार्थीगण का चला आ रहा है । इस प्रकार पूर्व रिकॉर्ड जैली काश्त के अनुसार व कब्जा मुखालफाना के आधार पर भी प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के खातेदार बन चुके हैं । अप्रार्थी कम 5 लगायत 7 उक्त भूमि को बेचान करने के प्रयास में है तथा प्रार्थीगण को ताकत के बल पर जबरन उक्त भूमि से बेदखल करने पर आमादा हैं ।

3. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि अप्रार्थीगण ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी से प्रार्थी को बेदखल नहीं करे, स्वयं कब्जा नहीं करे, भूमि को किसी व्यक्ति, संस्था के

पक्ष में रहन, बेचान नहीं करे तथा प्रार्थी के हक एवं आधिपत्य में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप न हीं करे । उक्त कृत्य न तो स्वयं अप्रार्थीगण स्वयं करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. परीक्षण न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र को प्रशासन गॉव के संग अभियान के तहत लोक अदालत कैम्प खैराबार में रखते हुए अपने आदेश दिनांक 10.11.2010 के द्वारा दोनों पक्षकारान को मूल वाद के निस्तारण तक यथास्थिति बनाये रखने हेतु जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया ।

5. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.11.2010 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि परीक्षण न्यायालय में समस्त खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया । शेष रहे खातेदारों को पक्षकार बनाने हेतु परीक्षण न्यायालय में प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था उक्त प्रार्थना पत्र पर किसी प्रकार का निस्तारण किये बिना निर्णय पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है । वैधानिक रूप से आवश्यक पक्षकारों की अनुपस्थिति में उनके विरूद्ध किसी भी प्रकार का निर्णय पारित नहीं किया जा सकता । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.11.2010 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी अपीलान्ट को परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की कोई जानकारी नहीं थी । रेस्पोडेन्टगण द्वारा अपने हिस्से की भूमि का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अपीलान्ट को किया गया है । उक्त विक्रय पत्र के आधार पर तहसील में नामान्तरकरण दर्ज करवाने गया तब उक्त निर्णय की जानकारी हुई जिस पर वकील साहब से सम्पर्क किया और दिनांक 08.04.2021 को नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 15.04.2021 को नकल प्राप्त हुई । नकल प्राप्त होते ही उक्त अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. प्रार्थी अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी का प्रस्तुत कर कथन किया कि अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट भेरी बाई द्वारा खसरा नम्बर 674 की 06 बीघा 16 बिस्वा में से अपीलान्ट को 1/4 हिस्से का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से प्रार्थी अपीलान्ट को किया जा चुका है । इस प्रकार गंगाबाई, जमना बाई द्वारा खसरा नम्बर मिन 674 की 06 बीघा 16 बिस्वा में से 1/2 हिस्से का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से अपीलान्ट को किया जा चुका है और वर्तमान में उक्त क्रयशुदा आराजी पर अपीलान्ट काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है । इस प्रकार उक्त आराजी में अपीलान्ट का हित–निहित है । अपीलान्ट के उक्त आराजी में हित–निहित होने से अपीलान्ट को न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किया जाना आवश्यक है । अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार कर अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे ।

8. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा परीक्षण न्यायालय में धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था उक्त प्रार्थना पत्र को दिनांक 10.11.2010 को प्रशासन गॉव के संग अभियान के तहत कैम्प कोर्ट में ले जाकर निर्णित किया है । परीक्षण न्यायालय में समस्त खातेदारों को रेस्पोडेन्टगण द्वारा पक्षकार नहीं बनाया गया है । शेष रहे खातेदारों का पक्षकार बनाने हेतु परीक्षण न्यायालय में वादी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था उक्त प्रार्थना पत्र किसी प्रकार का निस्तारण किये बिना निर्णय पारित किया गया है जो निरस्तनीय है । वैधानिक रूप से आवश्यक पक्षकारों की अनुपस्थिति में उनके विरूद्ध किसी भी प्रकार का निर्णय पारित नहीं किया जा सकता । परीक्षण न्यायालय में उक्त प्रार्थना पत्र तलबी हुई विचाराधीन था जो स्पष्ट रूप से परीक्षण न्यायालय की आदेशिका से प्रमाणित है। परीक्षण न्यायालय ने पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना उक्त पत्रावली को केम्प में ले जाकर निप्रय पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण है । पत्रावली में तारीख पेशी दिनांक 14.10.2010 के बाद दिनांक 16.11.2010 नियत की गई थी । पक्षकारों को सूचना दिये बिना उक्त पत्रावली को मनमाने तरीके से दिनांक 10.11.2010 को निकाल कर प्रशासन गॉव के संग अभियान में इसका निस्तारण कर दिया है जबकि लोक अदालत में पक्षकारों की सहमति के आधार पर ही निर्णय किया जा सकता है । उक्त निर्णय लोक अदालत की भावना के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.11.2010 निरस्त फरमाया जावे ।

10. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि कुछ पक्षकारान के विरूद्ध फौजदारी की कार्यवाही विचाराधीन है । ऐसी स्थिति में प्रकरण का निस्तारण नहीं किया जावे । वादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित मूल वाद अभी विचाराधीन है । अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.11.2010 के विरूद्ध दिनांक 08.06.2021 को पेश की जो लगभग 11 वर्ष के पश्चात् की गई है और विलम्ब के कोई स्पष्ट संतोषप्रद कारण भी नहीं बताए हैं । अपीलान्ट ने दौराने वाद उक्त भूमि को क्रय किया है । अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.11.2010 बहाल रखा जावे ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । प्रार्थी प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट क्रम 1 लगायत 4 ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसे परीक्षण न्यायालय ने प्रशासन गॉव के संग अभियान के तहत कैम्प में रखते हुए दोनों पक्षकारान को वादग्रस्त आराजी की मूल वाद के निस्तारण तक यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया । प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट ने वादग्रस्त आराजी दिनांक 11 जुलाई, 2011 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय करना बताते हुए न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की है ।

12. भेरी बाई पत्नी स्व0 धन्ना लाल ने दिनांक 11.07.2011 को बंशी लाल पुत्र प्यारचन्द को खसरा नम्बर 674 रकबा 06 बीघा 16 बिस्वा भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि का विक्रय किया । इसी प्रकार गंगाबाई, जमुनाबाई द्वारा खसरा नम्बर 674 की 06 बीघा 16 बिस्वा भूमि में से 1/2 हिस्से का विक्रय बंशीलाल पुत्र प्यारचन्द को किया गया । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 11.08.2009 में अंकित किया गया है कि, "प्रार्थीगण के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय का अंतरिम स्थगन आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि खसरा नम्बर 674 मिन रकबा 06 बीघा 16 बिस्वा व खाता संख्या 725 के खसरा नम्बर 674 की 01 बीघा 11 बिस्वा कुल 08 बीघा 07 बिस्वा भूमि वाके ग्राम खैराबाद को आगामी तिथि तक राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें ।" उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये गये थे । उक्त आदेश के बाद बंशीलाल द्वारा वादग्रस्त आराजी को क्रय किया गया । हालांकि यह भी सही है कि परीक्षण न्यायालय में धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते समय गंगाबाई एवं जमुनाबाई को पक्षकार नहीं बनाया गया था । परन्तु यहॉ महत्वपूर्ण उल्लेखनीय तथ्य यह है कि अपीलान्ट बंशीलाल परीक्षण न्यायालय में लम्बित मूल वाद में पक्षकार बन गया है अथवा नहीं ? अपीलान्ट ने अपनी अपील में ऐसा कोई तथ्य एवं दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह सिद्ध हो सके कि अपीलान्ट मूल वाद में पक्षकार बना है । मूल वाद में भी पक्षकार बनना आवश्यक है । भूमि का विक्रय वाद प्रस्तुत करने के पश्चात् हुआ है । निर्णय भी दिनांक 10.11.2010 का है तथा न्यायालय हाजा में अपील दिनांक 09.06.2021 को पेश की गई है जो लगभग 10 वर्ष 06 माह बाद प्रस्तुत की गई है । लगभग 10 वर्ष 06 माह के पश्चात् धारा 96 के प्रार्थना पत्र पर सीधे ही अपील न्यायालय में प्रस्तुत करना औचित्यपूर्ण नहीं है । प्रार्थी अधीनस्थ न्यायालय में अब तक पक्षकार क्यों नहीं बने ? इसका कोई संतोषप्रद जवाब प्रार्थी प्रस्तुत नहीं कर पाए । यदि प्रार्थी के इस तर्क को माना जावे कि इतने वर्षों तक प्रार्थी की जानकारी में प्रकरण नहीं था तो जानकारी प्राप्त होने पर भी प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी अपीलान्ट पक्षकार क्यों नहीं बने ? प्रार्थना पत्र धारा 212 में भी जानकारी होने पर अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में कोई प्रार्थना पत्र या अन्य अनुतोष प्राप्त करने हेतु कोई प्रयास नहीं किये । अतः हमारे विनम्र मत में लगभग 10 वर्ष 06 माह पश्चात् प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य नहीं है । अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार बनने एवं अन्य किसी प्रावधान के तहत अधीनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है । अतः धारा 96 का प्रार्थना पत्र 10 वर्ष 06 माह पश्चात् प्रस्तुत करने तथा अधीनस्थ न्यायालय में मूल वाद में पक्षकार नहीं बनने के कारण अपील खारिज किये जाने योग्य है ।

13. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.11.2010 बहाल रखा जाता है ।

14. निर्णय आज दिनांक 13.12.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा